शान्ति बनाम फुसाराम

19-12-2024

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 को न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट्स न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत भूमि तहसील बीकानेर के चक 6 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 194/11, 194/12, 194/13, 194/19, 194/20 व ग्राम पेमासर के खसरा नम्बर 9 में अपीलांट की 1/6 हिस्सा खातेदारी भूमि स्थित है। अपने हिस्से के अनुसार खाता विभाजन कराने के लिए अदालत मातहत में अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर बिना कोई कारण दर्शाये अपीलांट के प्रीमेच्योर दावे को खारिज कर दिया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अभिलिखित किया है कि वादिनी को कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नही हुआ है। जबकि अपीलांट ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 8 में स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलांट को वाद कारण प्राप्त हुआ था तथा उसी के आधार पर अपीलांट के द्वारा खाता विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट/वादी को अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी संख्या 6 व 8 के मृत होने की सुचना नहीं होने से वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व 8 को पक्षकार बना लेने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय व डिक्री में यह आधार लिया है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 6 व 8 वादपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से पूर्व से ही मृतक थे एवं अपीलांट/वादी ने वादपत्र में उनके विरूद्ध वाद कारण हासिल अभिलिखित किया है जो स्वीकार योग्य नही होने से वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होना साबित होता है। तथा साथ ही अपने निर्णय व डिक्री में यह भी अंकित किया है कि मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में संशोधन की अनुमति या कायम मुकाम की छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 6 व 8 के जायज वारिसों को रिकोर्ड पर लिये जाने का आदेश स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है। जब प्रतिवादी संख्या 6 व 8 के जायज वारिसों को वाद पत्र में बतौर पक्षकार रिकोर्ड पर लिया जा चुका था एवं सह खातेदारों में अन्य पक्षकारों के मौजूद रहने से वादी/अपीलांट को वाद कारण हासिल नहीं होना अभिलिखित किया जाना कानूनी भूल है। खाता विभाजन प्रत्येक सहखातेदार का अधिकार है एवं विभाजन के दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र दो प्रतिवादी के फौत होने के आधार पर विभाजन का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन आदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार खाता विभाजन की

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कार्यवाही की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकारों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से एवं मृतक के विरूद्ध वाद कारण हासिल नही होने के आधार पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है जो विधिसम्मत है। चूंकि अपीलांट/वादी स्वयं ने वादपत्र प्रस्तुत किया था एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 8 वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही फौत हो चुके थे। ऐसे में उनके विरूद्ध वाद कारण हासिल होना तर्कसंगत प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ द्वारा समस्त कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर उभय पक्षों की सुनवाई की जाकर कानूनन आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत वादपत्र खारिज किये जाने से अपीलांट/वादी अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के वादपत्र को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी को वाद कारण हासिल नही होने के आधार पर विभाजन का वाद खारिज किये जाने के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद कारण हासिल होने का जो आधार लिया है वो अपूर्ण है इस संबंध में वादपत्र का अवलोकन किया गया जिसके पैरा संख्या 8 में वादी ने वाद कारण हासिल होना अंकित किया है। वादपत्र के पैरा संख्या 8 में वादी/अपीलांट ने अभिकथित किया है कि **"वादी ने कई बार खाता विभाजन कराने हेतु प्रतिवादीगणों से कहा परन्तु वो प्रत्येक बार इसे टालते रहे तथा दिनांक 30–12–2015 को खाता विभाजन कराने से स्पष्ट तौर से मना कर दिया इसप्रकार यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है"**। वादी के इस कथन अनुसार वादी ने अपने वाद कारण में कहीं भी प्रतिवादी संख्या 6 व 8 के विरूद्ध वाद कारण हासिल नहीं होने का कथन किया है जबकि वादपत्र में कुल 12 प्रतिवादी थे एवं वादी को यह वाद कारण किन्हीं व्यक्तिविशेष प्रतिवादी के विरूद्ध हासिल होने का कथन वादी द्वारा नही किया गया है। इसके आगे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–06–2022 को प्रतिवादी संख्या 6 व 8 के जायज वारिसों को रिकोर्ड पर लिया जाकर नोटिस जारी किये जा चुके थे ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन किया जाना कि मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में संशोधन की अनुमति या कायम मुकाम की छूट प्रदान नहीं की जा सकती है, विरोधाभाषी प्रतीत होता है। चूंकि विभाजन के वाद में सहहिस्सेदार/सहखातेदार के अधिकारों को फौत होने के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का स्कोप अत्यंत सिमित होता है। इसमें वादपत्र के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी

अभिकथनों के सही होने की अवधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। वादपत्र के पैरा संख्या 8 में वादकारण प्राप्त होने के आधार वर्णित है। चूंकि वादी द्वारा वाद में कुल 12 प्रतिवादी संयोजित किये गये है परन्तु उनमें से किन्हीं 2 प्रतिवादियों के फौत होने से वादी को वाद कारण हासिल नहीं होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है, साथ ही तकनीकी गलतियों या स्पष्टतः "यही वादकारण है" जैसे अभिकथनों के अभाव में भी वाद खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–04–2024 निरस्त की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर